बिहार सरकार
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना।

पत्रांक: पी0एच0/बि.ज.स्व.मि.–105/06– 248 दिनांक: 30-5-2007

प्रेषक: शशि शेखर शर्मा
सचिव
सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,
सभी उप विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।

सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।

विषय: संपूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण में प्रगति लाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मुख्यालय स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह बात संज्ञान में आई है कि अधिकांश जिलों में वैयक्तिक शौचालय का निर्माण लाभार्थी द्वारा नहीं कराया जाता है तथा निर्माण के उपरान्त उन्हें प्रोत्साहन राशि के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मार्गदर्शिका के आलोक में लाभार्थी द्वारा स्वयं शौचालय निर्माण करायी जा सकती है एवं यह शौचालय निर्माण का सबसे अच्छा विकल्प है। इस संबंध में आपको निम्नलिखित सुझाव दिये जाते है:–

(i) लाभार्थियों द्वारा स्वयं शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये एवं निर्माण के उपरान्त उनके द्वारा पंचायत के किसी भी निर्वाचित जन प्रतिनिधि, पंचायत सेवक, वार्ड मेम्बर, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया अथवा विभागीय कनीय अभियंता से शौचालय निर्माण का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने पर एक सप्ताह के अंदर प्रोत्साहन राशि के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये।

(ii) प्रखण्ड स्तर पर शौचालय निर्माण हेतु प्रोडकशन सेन्टर का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाना चाहिये ताकि शौचालय निर्माण हेतु सामग्री ग्रामीणों को उपलब्ध हो सके।

(iii) प्रखण्ड स्तर पर विभाग के जलापूर्ति योजना के परिसर में रूरल पैन, स्क्वॉटिंग प्लेटफार्म, रिंग इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये ताकि लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु सामग्री उपलब्ध हो सके।

(iv) BPL लाभार्थियों के शौचालय निर्माण हेतु आवेदन देने के उपरांत उन्हें निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। इसके लिये कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने पर भी विचार किया ज सकता है।